राजस्थान सरकार

# कार्यालय आयुक्त,जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र.एफ 5/अभि./सीटीएडी/275(1)महाविद्यालय में कक्ष निर्माण/20–21/ दिनांक :

उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
बांसवाडा।

विषय : अतिरिक्त कक्षा–कक्ष निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 16194–200 दिनांक 28.07.2020 द्वारा राजकीय महाविद्यालय सज्जनगढ चार कक्षा–कक्ष निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई एवं कार्यकारी एजेन्सी स्वच्छ परियोजना को नियुक्त किया गया।

परियोजना अधिकारी स्वच्छ बांसवाडा के पत्रांक 1228–32 दिनांक 25.09.2020 द्वारा तकनिकी स्वीकृति मय तकमिना प्राप्त होने से निम्नानुसार संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति **राशि रू. 49.85 लाख** जारी की जाती है।

कार्यकारी एजेन्सी स्वच्छ परियोजना

(राशि लाख रू. में)

| क्र.सं. | कार्य का नाम व स्थान | पं.स. | जिला | तकनिकी स्वीकृति क्र./दि. | राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चार कक्षा–कक्ष निर्माण राजकीय महाविद्यालय सज्जनगढ | सज्जनगढ़ | बांसवाडा | 66/31.07.2020 | 49.85 |

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 77/2018–19 मे 113 नवीन क्रमोन्नत राजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं मे प्रयोगशालाओ के निमाण हेतु प्राप्त राशि मे से किया जावेगा।

**शर्ते–**

1. यदि कोई कार्य अन्य किसी स्त्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
2. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन **कॉलेज शिक्षा के मॉडल** एस्टीमेट अनुसार किया जावे।
3. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के आधार पर जारी कार्यादेश से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावें।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकनीकी स्वीकृति के अनुसार गुणवत्तापूर्वक किया जावे।
5. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व Structural Design, 3D Elevation & Site Plan भिजवावे।
6. विभागीय अभियंताओ एवं प्लेसमेंट के माध्यम से आई.टी.डी.पी. अन्तर्गत कार्यरत अभियंताओ के माध्यम से कार्यो का निरीक्षण करवाया जावेगा। स्वीकृत कार्यो का third party inspection समय–समय पर करवाया जायेगा। inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी। कार्य पूर्णता पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ बचत राशि लौटाई जावे।

–Sd–
(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)I.A.S
आयुक्त



कृ.पृ.उ.

-2-

दिनांक : 1/10/2020

क्रमांक यथोपरि/ 23206-16

प्रतिलिपि–

1. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाडा।
4. निदेशक/परियोजना प्रबंधक, स्वच्छ परियोजना उदयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 77/2018–19 मे 113 नवीन क्रमोन्नत राजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों मे प्रयोगशालाओ एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं के निर्माण हेतु प्राप्त राशि में से स्वीकृत लागत 49.85 लाख की 80 प्रतिशत राशि 39.88 लाख निदेशक स्वच्छ परियोजना उदयपुर को हस्तान्तरित करावे।
6. प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय सज्जनगढ जिला बांसवाडा।
7. प्रभारी अधिकारी मॉनिटरिंग/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
8. गार्ड पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त